न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 32/2019

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. फेफाराम पुत्र हुक्माराम जाति गुर्जर निवासी रूदिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. सुगनाराम पुत्र भंवराराम 2. कंवराई पत्नी पांचाराम जाति गुर्जर निवासी रूदिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री परसराम चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 02।
3. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 08.10.2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम रूदिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है, जिसको आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 तक मय खसरा गिरदावरी व ट्रेस नक्शा के संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पहले मूल खसरा नं. 204 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी कब्जासुद थी, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 ने 07 बिस्वा जमीन जरिये बेचान रजिस्ट्री वादी को बेचान कर दी तथा 02 बीघा जमीन जरिये बेचान रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर दी जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा व खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर शेष खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रह गयी जो राजस्व रकर्ड जमाबंदी से स्पष्ट है। वादी वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा नं. 204 में उतरी सीमा में 07 बिस्वा जमीन पर काबिज है तथा इस खरीदसुदा जमीन के उतरी तरफ वादी स्वयं की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 54 आई हुई है। इस प्रकार वादी की खरीदसुदा कब्जसुदा जमीन खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 01 की खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा प्रतिवादी संख्या 02 की खरीदसुदा खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसका राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम किया हुआ नही है तथा मौके पर एक चक के रूप में विद्यमान है। वादी ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण टाल मटोल करते आ रहे है तथा दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने वादी को ऐलानिया रूप से धमकी दी [illegible] वादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देंगे तथा ऐलानिया रूप से कहा कि वादग्रस्त आरा[illegible]क बंटवाड़ा किया हुआ नही है तथा राजस्व ट्रेस नक्शा में भी एक चक [illegible] वादी को जोर जबरदस्ती बेदखल कर देंगे, जबकि उन्हें [illegible] का कोई विधि[illegible]कार नही है जिसके लिए वादी को उक्त वादपत्र बंटवाड़ा एवं स्थायी नि[illegible] वादी के हक में एव प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया [illegible] राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2021.10.27 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व ट्रेस नक्शा में अलग अलग तरमीम किये जाने का आदेश फरमावे तथा वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा के वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करे, न किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री ओमप्रकाश कच्छवाहा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाबदावा हेतु कई अवसर देने के पश्चात् भी जवाबदावा पेश नही करने पर जवाबदावा बंद किया गया। जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही है। वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये तथा प्राथमिक डिक्रि जारी करने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2061–64 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम रूदिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का गहनता से अवलोकन किया जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्रि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 06.03.2020 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम रूदिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2021/2335 दिनांक 16.03.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्रि की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्रि किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं डिक्रि की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्रि किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्रि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम रूदिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र.सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	सुगनाराम पुत्र भंवरराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (प्रतिवादी)	204	08–07	बारानी द्वितीय	3.50
2	कंवराई पत्नी पांचाराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (प्रतिवादी)	204	02–01	बारानी द्वितीय	0.86
3	फेफाराम पुत्र हुक्माराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (वादी)	204	0–07	बारा[illegible]य	[illegible]5

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2021.10.27 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद [illegible] जावें। बंटवाड़ा [illegible] विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त [illegible]दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्रि पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 08.10.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2021.10.27 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री हवाई सिंह यादव ,आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

वादी :–

1. फेफाराम पुत्र हुक्माराम जाति गुर्जर निवासी रूदिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण :–

1. सुगनाराम पुत्र भंवराराम
2. कंवराई पत्नी पांचाराम जाति गुर्जर निवासी रूदिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
3. तहसीलदार भोपालगढ

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 32/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री परसराम चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश कच्छावाहा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 से 02 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व ग्राम ग्राम रूदिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 204/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 204/2 रकबा 02 बीघा व खसरा नं. 204 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र.सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	सुगनाराम पुत्र भंवराराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (प्रतिवादी)	204	08–07	बारानी द्वितीय	3.50
2	कंवराई पत्नी पांचाराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (प्रतिवादी)	204	02–01	बारानी द्वितीय	0.86
3	फेफाराम पुत्र हुक्माराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (वादी)	204	0–07	बारानी द्वितीय	0.15

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर प[illegible]ा जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार [illegible]हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इ[illegible]फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.10.2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2021.10.27 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

8/10/21

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2021.10.27 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested